वाद संख्या--07 / 2023
प्रमोद कुमार यादव बनाम् अनिल कुमार मण्डल।

इस वाद की सुनवाई दिनांक–18.07.2023, दिनांक--07.11.2023, दिनांक–19.12.2023, दिनांक--08.02.2024, दिनांक–14.05.2024, दिनांक–24.06.2024 तथा दिनांक–10.09.2024 को हुई। वादी की तरफ से विद्वान अधिवक्ता श्री दिनकर दूबे तथा प्रतिवादी की तरफ से श्री जटाशंकर झा एवं मो0 मासूम आलम द्वारा पक्ष रखा गया। जिला प्रशासन की तरफ से प्रशांत शेखर, उप निर्वाचन पदाधिकारी, मधुबनी, श्री शैलेन्द्र कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधुनबनी तथा श्री संतोष कुमार, आपदा प्रबंधन, मधुबनी द्वारा सत्यापन–सह–जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

वाद दायर करने के उपरांत अंतिम सुनवाई तक वादी द्वारा कोई भी साक्ष्य अपने दावें के समर्थन में ''रेकर्ड'' पर नहीं लाया गया, इसके विपरीत दिनांक–18.07.2023 एवं दिनांक–07.11.2023, दिनांक--14.05.2024 के उपरांत की गयी सभी सुनवाईयों में वादी एवं उनके विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित रहें।

जिला प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराये गये, अंतिम जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–3002 / जि0 निर्वा0, दिनांक–27.08.2024 के द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह– जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा जाँचोपरांत निष्कर्ष अंकित किया गया है कि:-

''तथ्य एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर श्री अनिल कुमार मण्डल को मात्र दो संतान होने की पुष्टि होती है। परिवादी द्वारा गाँव के सुनी–सुनवाई बातों के आधार पर दायर परिवाद तथ्यहीन एवं निराधार प्रतीत होता है।''

चूँकि वादी द्वारा अबतक कोई Unimpeachable साक्ष्य अथवा अन्य सहायक साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं कराया गया है तथा जिला प्रशासन द्वारा भी प्रथम दृष्ट्या परिवाद को तथ्यहीन एवं निराधार पाया गया है, अतएव वाद को जारी रखना न्यायोचित नहीं है।

उक्त वर्णित स्थिति में रजनी कुमार वाद (L.P.A. No. 566/2017) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पूर्णपीठ द्वारा पारित न्याय–निर्णय के आलोक में वादी के अनुरोध / दावें को अस्वीकृत किया जाता है।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
01.10.2024
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
01.10.2024
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–07/2023 3695   पटना, दिनांक–01/X/2024

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **मधुबनी**/उप निर्वाचन पदाधिकारी, **मधुबनी** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उप निर्वाचन पदाधिकारी, **मधुबनी** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

01/X/24
विशेष कार्य पदाधिकारी